# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(पंजीयन सं.-633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
सुशील कुमार
मो.-9431091417
E-mail : shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो.-9771048046
E-mail : siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष,
किशोरी पासवान
कमलेश सिंह

संयुक्त सचिव
अतुल कुमार वर्मा
कुमार रविन्द्र

कोषाध्यक्ष
मिथिलेश कुमार साहु

संयुक्त कोषाध्यक्ष
मृणायक दास

पत्रांक :......37......  दिनांक : 9-8-2017

**दिनांक– 09.08.2017 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकरणी की हुई बैठक की कार्यवाही :–**

---

**उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।**

सर्वप्रथम दिनांक– 16.07.2017 को आम सभा के उपरान्त गठित नई कार्यकारणी के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं आम सभा को सफल बनाने हेतु सदस्यों का धन्यवाद दिया गया। आम सभा में सदस्यों की उपस्थिति अधिकतम होने पर हर्ष व्यक्त किया गया।

2. जिला प्रबंधक के समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। सदस्यों द्वारा अपनी–अपनी बात रखी गई। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आगामी रविवार दिनांक– 13.08.2017 को पुनः संबंधित जिला प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से समस्या के समाधान की दिशा में संघ विचार करेगा।

3. सदस्यों को बताया गया कि वर्ष 2013, 2014, 2015 के रिक्ति के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हेतु संचिका पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है सम्भावना है कि इस माह में प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जायेगा।

4. सदस्यों को इस बात की जानकारी दी गई कि 39वीं बैंच, 41वीं बैंच, 42वीं बैंच के पदाधिकारी को एम0ए0सी0पी0 देने के संदर्भ में अग्रत्तर कार्रवाई सामान्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

5. सदस्यों को यह बताया गया 40, 41, 42वीं बैंच के पदाधिकारी को एम0ए0सी0पी0 देने मामले में समादेशवाद संख्या– 888/2014 दायर की गई थी, जिसमें दिनांक– 06.02.2014 को आदे होने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग द्वारा इन बैंच के पदाधिकारी को एम0ए0सी0पी देने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया। इस कारण संघ द्वारा MJC-4551/2014 दायर किया गर जिसका आदेश दिनांक– 24.05.2017 को हुआ है। जिसमें आदेश है कि In case the petitioners hav any grievance still subsisting with regard to the manner in which consideration is made an benefit granted to them, they will have the liberty to initiate appropriate proceeding afres in accordance with law. संघ इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग को ए Representation देगा। अगर कोई फलाफल नहीं आता है तो पुनः माननीय उच्च न्यायालय में वा दायर किया जायेगा।

6. इस बात पर चर्चा की गई कि सदस्यों के आकास्मिक मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि तुरंत उनके परिवार को संघ की ओर से दी जाय। विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ कि प्रति सदस्य प्रति वर्ष इस हेतु 1000 सहयोग राशि प्राप्त की जाय। तदनुसार एक निश्चित राशि देने पर कार्यकारणी विचार करेगी।

7. दिनांक– 06.08.2017 को नसीब लाल दास, 37वीं बैंच (कोटि क्रमांक–681/11) का बीमारी के कारण आकास्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया तथा दिवगंत आत्मा की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया, तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

9/8/17
(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :–केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव/सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

9/8/17
(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव